

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, रायपुर

क्रमांक 6276 / त.शा. / सरकु-पत्र / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2013

रायपुर, दिनांक 1-10-13

प्रति,

ई-मेल /
फैक्स / डाक

मुख्य अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
परिक्षेत्र रायपुर / बिलासपुर / जगदलपुर

विषय :-

Display of information on the site of projects being under assistance from Government of India.


संदर्भ :-

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय रायपुर का पत्र क्रमांक-एफ-8-7/2013/34-2/2405 रायपुर दिनांक 25.09.2013

---00---


उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न है, कृपया अवलोकन करें। शासन पत्र के साथ संलग्न निदेशक, (सांख्यिकी/वि.यां.), भारत सरकार पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, नई दिल्ली का अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक-14018/54/2013 पेयजल आपूर्ति (स्टैंड) दिनांक 06.09.2013 में दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने हेतु अपने अधीनस्थ समस्त अधीक्षण अभियंताओं एवं कार्यपालन अभियंताओं को आवश्यक निर्देश जारी करें एवं की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावें।

सहपत्र : उपरोक्तानुसार।


01.10.13
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

क/ड

छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर



क्रमांक एफ 8-7/2013/34-2/2405
प्रति,

रायपुर, दिनांक 25/9/2013

प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़ रायपुर।

विषय : **Display of information on the site of projects being under assistance from Government of India.**
संदर्भ:- निर्देशक (सांख्यिकी/वि.यां.) पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय नई दिल्ली का अ.शा. पत्र क्र. 14018/54/2013/पेयजल आपूर्ति (स्टैंड), दिनांक 6.09.2013.


-00-

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न है जिसमें भारत सरकार पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा निम्न बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है :-

1. Emblem of Government of India/Name of Ministry or Department.
2. Project cost and break up of its funding viz. Central share, State share, ULB share beneficiary contribution etc.
3. Scheme under which the project has been taken (where applicable)
4. Date of starting the project.
5. Scheduled dated of completion of the project.
6. Implementing Agency.
7. Contact details of officers/implementing agency for further information or feedback with website address.

निर्देशानुसार उपरोक्त बिन्दुओं पर चाही गई जानकारी शासन को एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें। यह पत्र सचिव, छ.ग.शासन द्वारा समय सीमा में लिया गया है।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

TS/AS/GS/ES/MIS/TSC/CCDU/Audit

EE/SE(A)/SE(P)/SE(T)/CE(M)/E-2019

